



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु -560037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1966/ Type Approval No.: 1966

मद / FOR ITEM: फ्लुरो कार्बन बेस रबड़ कम्पाउंड पीवी-9 (ईआरपी-1305)/
Fluoro Carbon Base Rubber Compound PV-9 (ERP-1305)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स पॉलिमर एंटरप्राइजेज, ई-41, एमआईडीसी, सतपुर, नासिक-422 007 (महाराष्ट्र), द्वारा विकसित तथा उत्पादित " फ्लुरो कार्बन बेस रबड़ कम्पाउंड पीवी-9 (ईआरपी-1305)" को नियंत्रक विनेदेश सं.: टीवाई 38-005-1166-73, के अनुसार मिग और सू-30 श्रंखला वायुयान में उपयोग हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (कोरापुट) के रूपरेखाओं के अनुसार, टेस्ट शेड्यूल दस्तावेज सं.: टीएस/760-11, इश्यू-शून्य, दिनांक 11 जून 2011 तथा टीएस/760-11/पी ई/001, इश्यू सं.: शून्य, दिनांक 10 अगस्त 2018 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Fluoro Carbon Base Rubber Compound PV-9 (ERP-1305)" developed and manufactured by M/s Polymer Enterprises, E-41 MIDC, Satpur, Nashik – 422 007 (Maharashtra) as per Governing Specification No.: TY 38-005-1166-73 for use in MiG and SU-30 series Aircraft. It was tested as per Test Schedule Document No.: TS/760-11, Issue 'Nil' dated: 11th June 2011 & TS/760-11/PE/001, Issue No.: 'Nil' dated: 10th August 2018 as outlined by RCMA (Koraput). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखनसंविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 सितम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, इसके बाद इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए(कोरापुट) से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th September 2023 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Koraput), for subsequent renewal, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बैंगलुरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न / Encl : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'
सं. / No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA -1966
दिनांक / Date : 17 October 2018
फैक्स सं. / Fax No: 080-25230856

03rd Oct 18

पी जयपाल / P.JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)